न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

पीठासीन अधिकारीः– श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 90 / 2016

1– गोधूखां पुत्र श्री नसीर खां जाति मुसलमान निवासी मगनवाला हाल आबाद भूरासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर

2– सादक पुत्र गोधू खां जाति मुसलमान निवासी मगनवाला हाल आबाद भूरासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार

रेस्पोडेन्ट

::अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– अपीलान्ट की ओर से – श्री रणजीतसिंह निर्वाण अधिवक्ता

2– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 28.06.2019

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार उपनिवेशन कोलायत नं. 1 के आदेश दिनांक **10.06.1979 द्वारा अपीलान्ट को वाके रोही ग्राम मगनवाला के खेत खसरा नम्बर 180 तादादी 50 बीघा भूमि का टी.सी. आवंटन निरस्त किया गया,** से व्यथित होकर यह अपील उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व न्याय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है व रूहेदाद मिसल का होने से आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावे।

2. राजस्थान सरकार उपनिवेशन विभाग राज. जयपुर की अधिसूचना पत्रांक 11(3)उप / 2006 / पार्ट–1 दिनांक 04.12.2015 के क्रम में उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1,2,3 से संबंधित क्षेत्राधिकार राजस्व विभाग को परिवर्तन होने पर प्रकरण इस न्यायालय में हस्तान्तरित होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेण्ट स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि अपीलान्ट संख्या 1 को वाके रोही ग्राम मगनवाला के खेत खसरा नम्बर 180 तादादी 50 बीघा भूमि बतौर टी.सी. आवंटन के दिनांक 8.7.1974 को आवंटन किया गया। तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट संख्या 1 को विधिवत् कब्जा दिया गया उसी अनुसार काबिज होकर आज दिनांक तक काबिज होकर मय अपने परिवार के आबाद होकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलान्ट को आवंटित भूमि वर्तमान में चक 19 एमजीएम के मुरब्बा नं. 222/19 के किला नम्बर 7 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 222/34 के किला नम्बर 1 ता 25 है जिस पर अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून, न्याय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को ताक रखकर बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये वगैर आदेश जैर अपील पारित कर टी.सी. आवंटित भूमि खारिज कर भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश खिलाफ कानून न्याय होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश अधीनस्त न्यायालय निरस्त फरमाया जावे।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का मगवानवाला ने उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 1 के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गोधू खां पुत्र नजीर खां कॉम मुसलमान सा. मगनवाला को ग्राम मगनवाला के खसरा नम्बर 180/1 में 11 व 180/2 में 39 कुल 50 बीघा भूमि का नवीनीकरण संवत 2034 एवं 2035 में स्वीकृत फरमाया गया । श्री गोधूखां पुत्र नजीर खां ने दिनांक 10.6.1979 ने उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 1 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके नाम से सरहद रोही मौजा मगनवाला में खसरा नम्बर तादादी 50 बीघा संवत 2035 में आवंटन मंजूर की गई थी। मगर यह भूमि नाकाबिल काश्त के टीले है। इसलिए उक्त भूमि का इस्तीफा सायल के नाम से मंजूर फरमाया जावे। श्री गोधू खां पुत्र नजीर खां ग्राम मगनवाला रकबा नहीं रखने एवं त्याग पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.06.1979 को अलाट शुदा रकबा खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर विधिवत निर्णय पारित किया है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 1 के निर्णय दिनांक 10.06.1979 के विरूद्ध दिनांक 19.09.2014 को करीब 35 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कोई कारण अंकित नहीं है। ऐसे व इतने विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता। लिहाजा अपील मियाद बाहर होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच गौरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner